उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1,
संख्या-58/2015/2552/92-1-2015-75(अधि0)/2014,
लखनऊ:: दिनांक:: 08 जून, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

विभागीय निर्माण कार्यो को गुणवत्ता पूर्वक मानकों के अनुसार कराये जाने, निर्माण कार्यो के निरीक्षण व उनके अनुश्रवण को गतिशीलता प्रदान किये जाने के दृष्टिगत तात्कालिक प्रभाव से श्री रियाज अली, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-अलीगढ़ को स्थानान्तरित करते हुए उन्हें कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर से एतदद्वारा सम्बद्ध किया जाता है।

2- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3516/92-2014-13डब्लू/2014, दिनांक 04-8-2014 के अनुसार श्री रियाज अली द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर के कर्तव्यों एवं दायित्वों का पूर्ववत अतिरिक्त रूप से निर्वहन किया जाता रहेगा।

3- श्री रियाज अली को अधीक्षण अभियन्ता, परिमण्डल-कानपुर के अतिरिक्त कार्यो एवं दायित्वों को सम्पादित करने के लिये उन्हें किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन-भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।

4- अधीक्षण अभियन्ता के पद के अतिरिक्त कार्यो एवं दायित्वों के सम्पादन हेतु उक्त नितान्त काम चलाऊ एवं अस्थायी प्रबन्धन व्यवस्था शासन द्वारा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

डा0 प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-58/2015/2552(1)/92-1-2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता, (पूर्वी/पश्चिमी) ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।

6- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।

7- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, द्वारा- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

8- विशेष सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanad sh up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।